SHRI M. R. KRISHNA : Whatever we have said in the statement is absolutely correct. In 1952 we revised the pay scales of a large number of Cantonment Board employees and in 1954 we covered the rest of them. There is the Jeejeebhoy Award which has given increased pay scales to the Cantonment Board employees and till we finally accept the recommendations made by certain committees, on which our officers are there this Tribunal's Award will continue and the Cantonment Board employees will be paid accordingly.

श्री जगत नारायण : दूसरा सवाल । क्या वज़ीर साहब को यह मालूम है कि हरियाणा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो कैंटूनमेंट बोर्डस् हैं उनके जो इम्प्लाईज़ हैं उनको एरियर आफ एडहाक टेम्पोररी पे अभी तक नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो कब तक उनको मिल जायेगा ।

SHRI M. R. KRISHNA : According to the Tribunal's Award, what ever has been decided will be given and if they have not been given the Government will definitely take a decision. Now, the Federation of Cantonment Board employees wanted the Government to take quick action and we have appointed certain officers to go into it. We would like to equate these posts and salaries with the sister-departments in the State Governments.

श्री जगत नारायण : क्या इस साल तक फैसला हो जायगा ।

SHRI M. R. KRISHNA : We will try to do that.

SHRI ARJUN ARORA : May I know if the Cantonment Board employees all over the country have demanded the appointment of a Central Wage Board to go into their wage structure and, if so, whether the Government have made up its mind about it? The demand has been pressing and I understand that the Labour Ministry is willing to appoint a Central Wage Board for Cantonment Board employees. Only this Ministry does not give out its mind.

SHRI M. R. KRISHNA : The Federation has definitely asked for a Wage Board. Later on, when we explained to the representatives of the Federation that we would like to constitute a committee of offices to go into this question and then equate the salaries, etc. with those of the local boards in the States, they had agreed. Therefore, we may not be considering the appointment of a Wage Board.

†संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी का प्रयोग

***220 श्री जगदम्बी प्रसाद यादव‡:**
श्री मान सिंह वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए लिखा है जिससे उसका सारा कार्य हिन्दी में भी होने लगे ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे अन्य सदस्य-देशों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्हें वहां अपनी स्वयं राष्ट्र भाषा में भाषणलेखन की सुविधाएं प्राप्त नहीं है ?

§[USE OF HINDI IN U.N.O.

*220. SHRI J. P. YADAV :
SHRI MAN SINGH VARMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Government of India have written to the U.N.O. that arrangements should be made so that all its work be done in Hindi also;

(b) it so, what is the progress in the matter; and

(c) the number of and the names of other member countries of the U.N.O. whose delegates do not have the facility of writing speeches in their respective national languages?]

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

---

† Transferred from the 31st July, 1968.
‡ The question was actually asked on the floor of the House by Shri J.P. Yadav.
§[ ] English translation.

(ग) महासभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों के अन्तर्गत चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी भाषायें ही उसकी आधिकारिक भाषायें हैं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी एवं स्पेनी उसकी कार्यकारी भाषायें है । कोई भी प्रतिनिधी इन आधिकारिक भाषाओं से इतर किसी भाषा में बोल सकता है, बशर्ते कि वह खुद ही किसी एक काम-काज की भाषा में इनके अनुवाद का प्रबन्ध करे ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Under the Rules of Procedure of the General Assembly, Chinese, English, French, Russian and Spanish are its official languages. English, French and Spanish are the working languages. Any representative may speak in a language other than the official languages, provided he himself arranges for interpretation into one of the working languages.]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार अन्य देशों की भाषायें वहां बोलने की और कार्यकारी भाषा बनाई गई हैं तो जिस जिस भाषा को संयुक्त राष्ट्रीय भाषा, लिखने और कार्य करने की भाषा, बनाया गया है उस भाषा को बोलने वालों की क्या संख्या है और जब भारतवर्ष 55 करोड़ आबादी वाला देश है तो ऐसे देश की भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में मनवाने के लिये सरकार ने क्यों प्रयत्न नहीं किया ।

दूसरा प्रश्न यह है कि मैंने यह पूछा था कि कौन कौन ऐसे देश हैं जो उसके सदस्य हैं लेकिन अपनी भाषा में व्यवहार नही करते हैं और सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया ।

श्री बी० आर० भगत : जो अंतिम सवाल है, उसका जवाब तो हो गया कि पांच भाषायें हैं जिनमें कि महासभा का काम चलता है, इसके अलावा जितनें भाषाभाषी देश हैं वे तो इन्हीं भाषाओं में काम चलाते हैं अपनी भाषा में नहीं, इसलिये उसके लिये कोई अलग से जवाब की जरूरत नहीं ।

जहां तक हिन्दी का सवाल है मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि पहले हिन्दी का प्रचार पूरी तरह से अपने देश में करें तब हमारा इसके लिये नैतिक अधिकार बनता है और जहां तक इन पांचों भाषाओं का सवाल हैं जिनमें कि अन्तर्राष्ट्रीय महासभा का कारोबार होता है उसके लिये माननीय सदस्य को मालूम है कि वह एक ऐतिहासिक कारण से है । ये ही परमानेंट मेम्बर उसके उस समय से हैं और राष्ट्रसंघ में उन लोगों की भाषा है । अभी इसके अलावा किसी और भाषा को कार्यकारी और आधिकारिक भाषा बनाने के लिये एक नियम है और उसमें यह है कि "majority of members present and voting" अगर किसी भाषा को माने तभी वह हो सकती है । अभी जहां तक कि हिन्दी का सम्बन्ध है कि यह कार्यकारी या आधिकारिक भाषा महासभा की हो तो व्यावहारिक रूप से यह चीज़ वहां उठती नहीं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मेरा दूसरा प्रश्न ।

MR. CHAIRMAN : You have already put two questions.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : एक क्वेश्चन का जवाब नहीं था इसलिये मैंने यह पूछा था । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अपने दिमाग से, अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुये, यह कभी सोचा कि हिन्दी के बोलने वालों की संख्या स्पेनिश या जितनी और ज़बाने हैं, भाषायें हैं, उनके जो बोलने वाले हैं उनसे ज्यादा है, जो 14 राष्ट्रीय भाषायें है उनमें कई ऐसी भाषायें हैं जोकि उनको बोलने वालों की और समझने वालों की संख्या उन भाषाओं से अधिक है और अधिक प्रचलित भी है, तो मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि भारतवर्ष की सरकार अपनी मातृभाषा को, अपने देश की राष्ट्रभाषा को सम्मानित

†[ ] English Translation.

भाषा समझती है या नहीं जिसको कि वह यू० एन० ओ० को कह सके, यह सरकार ने कभी हिम्मत की, यह कभी प्रयास किया कि भारतवर्ष की भाषा को भी राष्ट्रसंघ की भाषा बनाया जाय।

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ADMINISTRATION OF TRUST TERRITORY OF SOUTH WEST AFRICA UNDER U.N.

*591. SHRI C. ACHUTHA MENON: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of South Africa have consistently rejected United Nations' call to hand over the administration of the trust territory of South West Africa to the United Nations, and

(b) if so, what efforts the Government of India propose to make at the United Nations to see that South West Africa is brought under the direct administrative control of the United Nations?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The Resumed XXII session of the General Assembly (1968) recommended to the Security Council that it should take effective measures in accordance with the U.N. Charter to ensure the immediate removal of South African presence from South West Africa. The Security Council has not yet met to consider the issue. Government will support all measures adopted by the Security Council to ensure the independence of South West Africa.

INDIAN TROOPS WITH I.C.C.

*592. SHRI SITARAM JAIPURIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the 'Hindustan Times' of 16th July, 1968 urging the Government of India for an investigation into the living conditions of Indian troops assigned to the International Control Commission; and

(b) whether Government propose to make an investigation into the matter and if so what are the details there of?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (a) and (b) The Government has seen Indian Press Reports on the subject. An Inter-Ministerial team recently visited the Headquarters of the three International Commissions in Vietnam, Cambodia and Laos and *inter alia* looked into the problems of Indian personnel serving in these Commissions. Its report is awaited.

'द गिल्टी मैन आफ 1962' नामक पुस्तक

*593. **श्री राजनारायण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री डी० आर० मानकेकर द्वारा लिखित 'द गिल्टी मन आफ 1962" नामक पुस्तक में दिए गए तथ्यों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†[BOOK ENTITLED "THE GUILTY MEN OF 1962"

*593. SHRI RAJNARAIN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the facts given in the book entitled "The Guilty Men of 1962" written by Shri D. R. Munkekar; and

(b) if so, what is the reaction of Government in this regard?]

रक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पुस्तक 1962 की घटनाओं से संबंधित है और विभिन्न व्यक्तियों पर लगाए गए दोषों के संबंध में, और उसके पश्चात् किए जाने वाले उपायों और धारण किए जाने वाले रवैये के प्रति लेखक की राय प्रकट करती है। इन घटनाओं पर सदन में कई बार विस्तारपूर्वक विचार

†[] English translation.